

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 26/2019 {RCMS 2019/00056}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुप्ता

2. धर्मदेव पुत्र कपिलदेव जाति अग्रवाल निवासीगण जयपुर

दावा :- अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनांक :- 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्बत 2073-2076 अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा 0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर में प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादीगण ने उक्त खसरान की भूमि में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के निजी खम्भा फैंक्ट्री लगाकर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का मण्डावरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादीगण को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादीगण कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनांक 03.01.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 01/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादीगण ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा 0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर को प्रतिवादीगण के हक हिस्से को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश करमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनांक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)


सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए प्रकरण की छाया प्रति, जमाबन्दी नकल सम्बत 2073-2076 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होंने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा 0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर में प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये निजी खम्भा फैंक्ट्री लगाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबन्दी नकल सम्बत 2073-76 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :-

ग्राम का नाम :- मण्डावरा	अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी					
पटवार हल्का :- मण्डावरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 233					
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 173					
काश्तकार का नाम:-						
1. धर्मदेव पुत्र कपिलदेव हिस्सा- 1/3 जाति- अग्रवाल सा. जयपुर खातेदार अ.वि.व.- यूनिफ प्रीस्ट्रेस उद्योग पार्टनर्स						
2. बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल गुप्ता हिस्सा- 1/3 जाति- गुप्ता सा. जयपुर खातेदार अ.वि.व.- यूनिफ प्रीस्ट्रेस उद्योग पार्टनर्स						
3. बाबूलाल गुप्ता(एच.यू.एफ) पुत्र बद्रीलाल गुप्ता हिस्सा- 1/3 जाति- गुप्ता सा. जयपुर खातेदार अ.वि.व.- यूनिफ प्रीस्ट्रेस उद्योग पार्टनर्स,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
669/228	0.2895	जाब 3	0.2895	3.47		
670/228	0.2796	चाही 3	0.0300	0.69		
		जाब 3	0.2496	3.00		
कुल खसरे - 2	0.5691		0.5691	7.1600		
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।						

प्रश्नगत ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा 0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा निजी खम्भा फैंक्ट्री लगाकर कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।





उपसहाय्य अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा 0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी
बड़जलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 26/2019 {RCMS 2019/00056}
वादी

मुकाम : कुचामन सिटी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

- बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुप्ता
- धर्मदेव पुत्र कपिलदेव जाति अग्रवाल निवासीगण जयपुर

दावा :- अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू राज पैरोकार हाजिरी
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि
ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 668/228 रकबा 0.2895 हैक्टर खसरा नम्बर 670/228 रकबा
0.2796 हैक्टर कुल रकबा 0.5691 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में
दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है,
तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया
जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की
गई।



दस्तखत.....
ओहदा.....
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुकमनामा		
बबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो
या नहीं, दर्ज करना चाहिए